

19-6-19

पत्रावली पेश हुई। अपाथीगण के वकील  
उपस्थित हुए। अपाथी अनुपस्थित हैं  
अपाथी की ओर से वकालतनामा पेश  
नहीं हुआ है। अपाथीगण को तीस बार  
आवाज लगावई गई, फिर भी अनुपस्थित  
हैं। अतः अपाथीगण के विरुद्ध सब  
तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है।  
अपाथी पत्र पर सब तरफा बहस  
सूनी गई। विवादग्रस्त भूमि मूजा  
पान्दपुर पट्टा एल्का पट्टा तहसील  
खेरवाड़ा कि जमाबन्दी सम्वत् 2065-68  
के खाता सं. नमा 89 पुराना 92 की  
कृषि आसरी 2325 इका 0.20 हे०  
जो अपाथी के खातेदारी भूमि है उसका  
सब बाद अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act  
के तहत न्यायालय में विचार चल रहा है।  
अपाथी पत्र का अवलोकन करके सब  
सब तरफ बहस पर मजबूत का यह  
आदेश दिया जाता है कि अपाथीगण  
सं. 1 व 2 मूल बाद के निस्तारा तक  
अपाथी के कब्जे की वादग्रस्त भूमि  
में किसी प्रकार का कब्जा नहीं  
करें एवं न ही किसी अन्य से कसब  
वादग्रस्त भूमि कि स्थिति प्रभावित करना  
रखें। अपाथी के मूल बाद के निस्तारा  
तक जोर से अरुंधती निषेधाज्ञा के  
पाबन्द किया जाता है। पत्रावली के मूल अनुसार  
होकर नम्बर से कम होवे तथा मूल बाद पत्र  
के साथ नये।

उपसभ अधिकारी

खरवाला जि. उदयपुर